



Neutral Citation No. - 2026:AHC:54917

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 575/2026

सुरेश और अन्य

.....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

अपीलकर्ता(ओं) के अधिवक्ता

: प्रशांत कुमार त्रिपाठी

प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता

: अबरार अहमद सिद्दीकी, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 51

माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार-X

1. हमने अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रशांत कुमार त्रिपाठी, प्रतिवादी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री अबरार अहमद सिद्दीकी और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. श्री आर.के. सिंह, की दलीलें सुनीं और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

2. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 14-ए(1) के तहत यह आपराधिक अपील अपील को स्वीकार करने और दिनांक 03.10.2025 को विद्वान विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम, जिला मिर्जापुर द्वारा विशेष सत्र परीक्षण संख्या 989/2025 (राज्य बनाम मुन्नी राज पाल एवं अन्य) में पारित निर्णय एवं आदेश को रद्द करने के लिए दायर की गई है, जो मुकदमा अपराध संख्या 167/2025 (राज्य बनाम मुन्नी राज पाल एवं अन्य) अंतर्गत धारा 351(3), 352 बी.एन.एस और 3(1)(द), 3(1)(ध) और 3(2)(V)(क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम पुलिस स्टेशन- जिगना, जिला मिर्जापुर से उद्धृत है।

3. सूचनाकर्ता ने बताया है कि वह अपने पति के साथ घर पर किराने की दुकान चलाती है। आरोप है कि 13-05-2025 को सुबह लगभग 7 बजे, दान पाल सिंह के पुत्र उमेश सिंह और सुरेश सिंह, जो उसी गांव के निवासी हैं, उनकी दुकान पर आए और उनके साथ छेड़छाड़ करने लगे। जब

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



उन्होंने और उनके पति ने इसका विरोध किया, तो उन्होंने उन्हें गंदी भाषा में अपशब्द कहे और जान से मारने की धमकी देकर वहां से चले गए। इस घटना के साक्षी उसी गांव के निवासी गुलाब सरोज के पुत्र सोनू सरोज थे, जो मौके पर मौजूद थे।

4. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ताओं और सूचनाकर्ता की दुकानें एक-दूसरे के सामने स्थित हैं, और अपीलकर्ताओं की दुकान पर अधिक ग्राहक आने के कारण ईर्ष्या की भावना उत्पन्न हुई, जिसके परिणामस्वरूप झूठा आरोप लगाया गया। यह भी प्रस्तुत किया गया कि एफआईआर में उल्लिखित छेड़छाड़ के आरोप को विवेचना के दौरान सूचनाकर्ता और अन्य गवाहों ने बाद में नकार दिया। सूचनाकर्ता के पति ने विवेचनाधिकारी के समक्ष स्वीकार किया है कि कथित दिन केवल कहासुनी और गाली-गलौज हुई थी। सूचनाकर्ता ने भी इसी प्रकार का बयान दिया है। यह भी बताया गया है कि बीएनएसएस की धारा 180 और 183 के तहत दर्ज सूचनाकर्ता के बयान असंगत और विरोधाभासी हैं। इन महत्वपूर्ण विरोधाभासों को देखते हुए, यह प्रस्तुत किया गया है कि अपीलकर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही रद्द की जानी चाहिए।

5. विद्वान एजीए ने प्रस्तुत किया कि सूचनाकर्ता और गवाहों के बयानों में मामूली असंगतियां अभियोजन पक्ष के संस्करण को खारिज करने के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं। यह तर्क दिया गया है कि सभी गवाहों ने एकमत से कहा है कि सूचनाकर्ता और उसके पति को जाति आधारित शब्दों का प्रयोग करके अपशब्द कहे गए। अतः निवेदन किया जाता है कि आक्षेपित आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

6. हमने विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें सुनीं और केस डायरी का अध्ययन किया। एफआईआर की सामग्री और सूचनाकर्ता तथा अन्य गवाहों के बयानों से केवल इतना ही संकेत मिलता है कि घटना वाले दिन पक्षों के बीच कहासुनी और गाली-गलौज हुई थी। सूचनाकर्ता और उसके पति के बयान से भी यही स्पष्ट है। सूचनाकर्ता ने विवेचनाधिकारी के समक्ष बताया कि 13.05.2025 को शाम लगभग 7:00 बजे, उमेश सिंह और सुरेश सिंह, दोनों सगे भाई, दानपाल सिंह के पुत्र और एक ही गांव के निवासी, उसकी दुकान पर आए और आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हुए कहा कि वह दुकान में लिपस्टिक लगाकर काम कर रही है और उसके खिलाफ जाति आधारित टिप्पणियां भी कीं। इसके बाद वे वहां से चले गए। उसने आगे बताया कि अगले दिन यानी 14.05.2025

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



को, जब उसका पति सामान खरीदने गया था, तो उक्त व्यक्तियों ने उसे जान से मारने की धमकी दी।

7. उसने बीएनएसएस की धारा 183 के तहत अपने बयान में कहा है कि 13.05.2025 को शाम लगभग 7:00 बजे, जब वह अपनी दुकान पर मौजूद थी, उमेश सिंह और सुरेश सिंह वहां आए और आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहा कि वह लिपस्टिक लगाकर दुकान चला रही है। उन्होंने जाति आधारित अपशब्दों का प्रयोग करते हुए उसे गाली भी दी और जान से मारने की धमकी दी। उसने आगे कहा है कि उक्त दोनों व्यक्ति उसकी दुकान के सामने एक किराने की दुकान चलाते हैं और इस वजह से उनके बीच अक्सर विवाद होते रहते हैं। वे उस पर दुकान बंद करने का दबाव भी डालते हैं। जब विवेचनाधिकारी ने उसके पति से पूछताछ की, तो उसने छेड़छाड़ के आरोप से इनकार किया।

8. एफआईआर और विवेचना के दौरान दर्ज किए गए सूचनादाता और अन्य गवाहों के बयानों को एक साथ पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि हालांकि एफआईआर में छेड़छाड़ का आरोप है, लेकिन बाद के बयानों से इसकी पुष्टि नहीं होती। सूचनादाता ने बीएनएसएस की धारा 180 और 183 के तहत दर्ज अपने बयानों में छेड़छाड़ के आरोप को दोहराया नहीं है और उसने केवल इतना कहा है कि आरोपियों ने आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं, जाति आधारित गालियों का इस्तेमाल किया और धमकियां दीं।

9. महत्वपूर्ण बात यह है कि सूचनादाता के पति, जो घटना के एक महत्वपूर्ण गवाह हैं, ने विवेचनाधिकारी के समक्ष स्पष्ट रूप से कहा है कि कथित तिथि को केवल कहा-सुनी और गाली-गलौज हुई थी। उन्होंने छेड़छाड़ के आरोप का समर्थन नहीं किया है। एफआईआर से यह महत्वपूर्ण विचलन अभियोजन पक्ष के मामले की जड़ तक जाता है और प्रारंभिक आरोप को संदिग्ध बना देता है।

10. इसके अलावा, विवेचना के दौरान दर्ज किए गए सूचनादाता के बयान एफआईआर में दिए गए विवरण से मेल नहीं खाते हैं। बाद के बयानों में छेड़छाड़ के आरोप का उल्लेख न होना, साथ ही पक्षों के बीच मामूली कहा-सुनी की बात स्वीकार करना, एक महत्वपूर्ण विरोधाभास है, न कि मामूली विसंगति, जैसा कि विद्वान एजीए ने तर्क देने का प्रयास किया है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



11. रिकॉर्ड से यह भी स्पष्ट है कि दोनों पक्ष एक-दूसरे के सामने किराने की दुकानें चलाते हैं और उनके बीच व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता है। स्वयं सूचनाकर्ता ने स्वीकार किया है कि दुकानों के संचालन के कारण अक्सर विवाद होते हैं और अभियुक्तों ने उसे दुकान बंद करने के लिए कहा था। यह पृष्ठभूमि घटना को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने का एक तर्कसंगत कारण प्रदान करती है।

12. ऐसी परिस्थितियों में, विवेचना के दौरान दर्ज किए गए बयानों के आधार पर आरोपों की विवेचना करने पर यह स्पष्ट होता है कि घटना मूलतः पक्षों के बीच कहासुनी और अपशब्दों के आदान-प्रदान का मामला था। आरोपित अपराधों के आवश्यक तत्व, विशेष रूप से छेड़छाड़ का आरोप, रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री से सिद्ध नहीं होते हैं।

13. न्यायालय इस बात से अवगत है कि समन जारी करने के चरण में साक्ष्यों का विस्तृत मूल्यांकन आवश्यक नहीं है। हालांकि, जहां सूचनादाता और उसके गवाहों के बाद के बयानों से मूल आरोप ही कमजोर पड़ जाते हैं, और अभियोजन पक्ष की कहानी में महत्वपूर्ण विरोधाभास हैं, तो कार्यवाही जारी रखना विधि का दुरुपयोग होगा।

14. तदनुसार, न्यायालय इस राय का है कि आरोपित अपराधों के लिए अपीलकर्ताओं के विरुद्ध प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है।

15. तदनुसार, अपील स्वीकार की जाती है। दिनांक 03.10.2025 को विद्वान विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम, द्वारा विशेष सत्र परीक्षण संख्या 989/2025 (राज्य बनाम मुन्नी राज पाल एवं अन्य) में पारित आक्षेपित निर्णय, जो मुकदमा अपराध संख्या 167/2025 (राज्य बनाम मुन्नी राज पाल एवं अन्य) अंतर्गत धारा 351(3), 352 बी.एन.एस और 3(1)(द), 3(1)(ध) और 3(2)(V)(क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम पुलिस स्टेशन-जिगना, जिला मिर्जापुर को एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

18 मार्च, 2026

उज्जवल

(अनिल कुमार-X, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"